रजिस्टर्ड /महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार।

पत्रांकः– 134 /16/प्रवक्ता (सा0 एवं म0) मु0परीक्षा–2020/गोपन–2/2021–22 दिनांकः 21 जुलाई, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा संवर्ग(समूह ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के चयन परिणाम के सापेक्ष निम्न अभ्यर्थियों के डाक/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 आयोग द्वारा कर दिया गया हैः–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं अनुक्रमांक	प्रत्यावेदन में किया गया अनुरोध	निस्तारण आदेश
01.	सोवेन्द्र सिंह	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 09.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ''उत्तराखण्ड प्रवक्ता संवर्ग हिन्दी विषय कि मुख्य परीक्षा का परिणाम 31.05.2022 को घोषित किया गया है जिसमें हिन्दी विषय में सामान्य दिव्यांग चलन की कट ऑफ–152.25 पर स्थगित है। महोदय मुख्य परीक्षा हिन्दी विषय में मेरे द्वारा प्राप्त अंक 156.75 है लेकिन मुझे इस चयन प्रक्रिया में सम्मलित नहीं किया गया है महोदय जिसके संबंध में मै सोवेन्द्र सिंह मुख्य परीक्षा हिन्दी विषय के कट ऑफ मेरे द्वारा प्राप्त मुख्य परीक्षा में अंक पत्र और अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय जी मेरे द्वारा प्राप्त मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर मुझे इस परिणाम चयन में सम्मलित करने की महान कृपा करें जिसके लिए में आजीवन आपका आभारी रहूंगा।''	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (तृतीय संशोधन–2015) बिन्दु संख्या 6.1 (ख) एवं (ग) के अनुसार– (ख)–''यदि किसी उपश्रेणी में पद विज्ञापित हों परन्तु उपश्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस उपश्रेणी (विकलांगता उपश्रेणी को छोड़कर) के पदों को सम्बंधित श्रेणी के पदों में समायोजित कर लिया जाएगा।'' (ग)–''शासन/सम्बंधित विभाग द्वारा उपलब्ध विवरण के अनुसार चिन्हित पद हेतु विकलांगता श्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता सूची में रखा जाएगा। विकलांगता से सम्बन्धित चिन्हित श्रेणी से भिन्न विकलांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन सम्बंधित मूल श्रेणी में किया जाएगा। चूंकि प्रत्यावेदक द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में केवल अन्य पिछड़ा वर्ग का दावा किया गया है तथा प्रत्यावेदक द्वारा धारित अंक 156.75 है जबकि प्रश्नगत पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 167.00 है। अतः कट ऑफ मार्क्स से कम अंक धारित करने के कारण प्रत्यावेदक का चयन प्रश्नगत पद हेतु नहीं किया गया। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।

02	दुर्गा रावत (841007)	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 06.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ''दिनांक 31 मई, 2022 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित प्रवक्ता जीव विज्ञान विषय मुख्य परीक्षा परिणाम में मेरे प्राप्तांक 128.50 है जबकि ओ0बी0सी0 की कट ऑफ मेरिट 128.25 रही। महोदय मैं भी ओ0बी0सी0 कैटेगिरी की अभ्यर्थी हूं इसके बावजूद भी मुझे न तो अभिलेख सत्यापन के लिये बुलाया गया और न ही मेरिट सूची में मेरा नाम आया है। इस हेतु मैने साक्ष्य स्वरूप आवश्यक अभिलेख इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये है। अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि मेरी उपरोक्त संकाओं एवं समस्याओं का निदान कर मुझे न्याय दिलाने की महती कृपा करे।''	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा संवर्ग(समूह ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के अन्तर्गत प्रववत्ता, जीव विज्ञान सामान्य एवं महिला शाखा का संशोधित चयन परिणाम दिनांक 10 जून, 2022 को घोषित किया गया था जिसमें प्रवक्ता संवर्ग जीव विज्ञान (सामान्य शाखा) अन्य पिछड़ा वर्ग/उत्तराखण्ड महिला की **कट ऑफ 146.00** तथा प्रवक्ता संवर्ग जीव विज्ञान (महिला शाखा) के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग/उत्तराखण्ड महिला की **कट ऑफ 135.00 है,** जबकि प्रार्थी दुर्गा रावत अनुक्रमांक–841007 द्वारा धारित **अंक 128.50** है। अतः कट ऑफ मार्क्स से कम अंक धारित करने के कारण अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु चयनित नहीं किया गया है। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।
03	सुनीता फर्स्वाण (825896)	प्रत्यावेदक के ई–मेल द्वारा प्रेषित दिनांक 03.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया है कि ''मैनें आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में आवेदन किया था जिसमें मैनें प्री और मैन्स दोनों परीक्षायें दी थी। परन्तु प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की अन्तिम सूची में यह दर्शाया गया है कि दिव्यांग वर्ग में कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होनें से सीट रिक्त रखी गयी है। अतः महोदय से निवेदन है कि मैं सुनीता फर्स्वाण, पुत्री श्री नन्दन सिंह फर्स्वाण आपसे निवेदन करती हूं कि मेरा चयन क्यों नहीं हुआ? उसका क्या कारण रहा? जबकि मैनें उक्त श्रेणी में ही आवेदन किया हुआ था। साथ ही साथ मुझे मेरे मुख्य परीक्षा के अंक भी उपलब्ध करवानें की कृपा करें।''	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (तृतीय संशोधन–2015) बिन्दु संख्या 6.1 (ख) एवं (ग) के अनुसार– (ख)–''यदि किसी उपश्रेणी में पद विज्ञापित हों परन्तु उपश्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस उपश्रेणी (विकलांगता उपश्रेणी को छोड़कर) के पदों को सम्बंधित श्रेणी के पदों में समायोजित कर लिया जाएगा।'' (ग)–''शासन/सम्बंधित विभाग द्वारा उपलब्ध विवरण के अनुसार चिन्हित पद हेतु विकलांगता श्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता सूची में रखा जाएगा। विकलांगता से सम्बन्धित चिन्हित श्रेणी से भिन्न विकलांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों का समायोजन सम्बंधित मूल श्रेणी में किया जाएगा। 2.चूंकि प्रत्यावेदक द्वारा प्रश्नगत परीक्षा में धारित अंक 38.50 है तथा प्रत्यावेदक EWS/UF/PB श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित है इस प्रकार मुख्य परीक्षा में EWS/OBC श्रेणी हेतु उत्तराखण्ड परीक्षा

			परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (तृतीय संशोधन–2015) के नियम 4.2.2(ग) के अनुसार पूर्णांक का 40 प्रतिशत अर्थात् 80 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अतः न्यूनतम अर्हकारी अंक धारित नहीं किये जाने के कारण प्रत्यावेदक को अंतिम चयन हेतु प्रवीणता सूची में नहीं रखा गया है। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।
04	इन्दू (831716)	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 06.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता भर्ती–2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 31.10.2021 को किया गया जिस हेतु प्रार्थिनी हिन्दी विषय के सापेक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुई। दि0 11.02.2022 को आये परिणाम में अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति के 84 पदों के सापेक्ष लगभग दुगुने अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग में अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया। अधिक अंक होने के कारण भी मेरा रो0 न0 831716 अभिलेख सत्यापन सूची में नहीं था। जबकि मुझसे कम अंक प्राप्त करने वाले समान श्रेणी ओ0बी0सी0 के कई अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया था। प्रार्थी के प्राप्तांक तथा रो0 न0 और जिन अभ्यर्थियों के मुझसे कम अंक है और उन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया जो निम्न है– 822427,825061...... 841886 आदि। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीनी को भी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित किया जाय, अथवा आवश्यक कार्यवाही की जाय, ताकि पद वृद्धि या प्रतिक्षा सूची आने की स्थिति में प्रार्थिनी अंतिम चयन से वंचित न रहे।''	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पत्रांकः 34/16/प्र0परीक्षा (मुख्य)–2020/गोपन–2/2020–21 दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में अभ्यर्थी इन्दू अनुक्रमांक–831716 को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रकार दिनांक 10.06.2022 को जारी अभिलेख सत्यापन सूची में प्रत्यावेदक को अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय आमंत्रित किया गया तथा अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही की गयी। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।

05	स्वाति (842591)	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 06.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता भर्ती–2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 31.10.2021 को किया गया जिस हेतु प्रार्थिनी हिन्दी विषय के सापेक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुई। दि0 11.02.2022 को आये परिणाम में अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति के 84 पदों के सापेक्ष लगभग दुगुने अभ्यर्थियों (171) अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग में अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया। अधिक अंक होने के कारण भी मेरा रो0 न0 842591 अभिलेख सत्यापन सूची में नहीं था। जबकि मुझ से कम अंक प्राप्त करने वाले समान श्रेणी ओ0बी0सी0 के कई अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया था। प्रार्थी के प्राप्तांक तथा रो0 न0 और जिन अभ्यर्थियों के मुझसे कम अंक है और उन्हें अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया गया जो निम्न है– 812252,838297......841886 आदि। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीनी को भी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित किया जाय, अथवा आवश्यक कार्यवाही की जाय, ताकि पद वृद्धि या प्रतिक्षा सूची आने की स्थिति में प्रार्थिनी अंतिम चयन से वंचित न रहे।''	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पत्रांकः 34/16/प्र0परीक्षा (मुख्य)–2020/गोपन–2/2020–21 दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में अभ्यर्थी स्वाति अनुक्रमांक–842591 को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रकार दिनांक 10.06.2022 को जारी अभिलेख सत्यापन सूची में प्रत्यावेदक को अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय आमंत्रित किया गया तथा अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही की गयी। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।
06	चन्द्रकला (828053)	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 06.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया है कि ''निवेदन इस प्रकार से है कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता विषय–जीव विज्ञान ओ0बी0सी0 शाखा के रिजल्ट बनाने में निम्न कमियॉ की गई है– 1. रो0 न0 828053 का स्क्रीनिंग परीक्षा में चयन सामान्य शाखा एवं महिला शाखा (ओ0बी0सी0) दानों में	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पत्रांकः 32/16/प्र0परीक्षा(मुख्य)–2020/गगोपन–2/2020–21 दिनांक 06 जून, 2022 के क्रम में अभ्यर्थी चन्द्रकला प्रवक्ता जीव विज्ञान (सामान्य शाखा) के अनुक्रमांक–828053 को प्रवक्ता जीव विज्ञान (महिला शाखा) के अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी प्रवक्ता (अनु–828053) द्वारा प्रश्नगत परीक्षा में धारित अंक 134.50 है जबकि कट ऑफ मार्क्स 135.00

		हुआ था लेकिन आयोग ने मुख्य परीक्षा के बाद मुझे केवल महिला शाखा (ओ0बी0सी0) में अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया। 2. आयोग के प्रवक्ता परीक्षा का जो अंतिम परिणाम आया उसमें सामान्य शाखा (ओ0बी0सी0) की कट ऑफ 128 गई थी, जबकि मेरे द्वारा प्राप्त अंक 134.50 है फिर भी मुझे इसमे सम्मिलित नहीं किया गया। 3. जबकि मुझसे कम अंक वालों को सामान्य शाखा (ओ0बी0सी0) में अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया तथा उनका चयन किया गया है। अतः महोदय से यह निवेदन है कि मेरा भी समान्य शाखा (ओ0बी0सी0) में अभिलेख सत्यापन कर प्रवक्ता परीक्षा में चयन करने की कृपा करें।''	है। इस प्रकार संशोधित चयन परिणाम दिनांक 10 जून, 2022 के दृष्टिगत अभ्यर्थी को प्रवक्ता जीव विज्ञान (महिला शाखा) में अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया जा चुका है। इस प्रकार दिनांक 10.06.2022 को जारी अभिलेख सत्यापन सूची में प्रत्यावेदक को अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय आमंत्रित किया गया तथा अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही की गयी। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।
07	अंशुमान सिंह भण्डारी (841609)	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 02.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि कि ''मैं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न परीक्षा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 का अभ्यर्थी रहा हूं महोदय मेरे द्वारा सम्पादित परीक्षा प्रश्न पत्र का उचित मूल्यांकन करने के लिए मुझे मेरी ओ0 एम0 आर0 सीट की प्रतिलिपि देने का कष्ट करें।''	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अंशुमन सिंह भण्डारी को उनके अनुरोध पर अनुक्रमांक–841609 के ओ0एम0आर0 सीट की प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।
08	समर सिंह	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 15.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ''उत्तराखण्ड में राजकीय इण्टरमीडिएड विद्यालयों में प्रवक्ता पद हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया था। तथा स्क्रीनिंग परीक्षा के	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ग) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के अंतिम चयन परिणाम के साथ समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जा चुका

		अंकों को प्रत्येक परीक्षार्थी के प्रदर्शित किये गये। परन्तु मुख्य परीक्षा के परिणाम के अंकों को किसी भी परीक्षार्थी के प्रदर्शित नहीं किये गये। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्रवक्ता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंकों को प्रत्येक परीक्षार्थी के प्रदर्शित किये जाये। तथा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के परिणाम की पुनः जॉच की जाय।''	है। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाई पर अपने प्राप्तांक का अवलोकन किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी समर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।
09	मनीषा रावत	प्रत्यावेदक के डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 16.06.2022 के प्रत्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ''उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ग) सेवा परीक्षा–2020 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिणाम एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग द्वारा अपनी बेबसाइट में दिनांक 31.05.2022 को घोषित किये गये। उक्त परिणाम के विषय में आपको निम्नवत अवगत कराना हैः– 1. उक्त परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा) हेतु विषयवार तय किये गये कुल 544 पदों हेतु आयोजित की गई थी जिसमें कि ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण वर्ग तथा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण तय किये गये थे। 2. परीक्षा परिणाम के अनुसार अनारक्षित वर्ग में अनारक्षित महिला हेतु आरक्षित महिला क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में अन्य वर्ग की महिलाओं का चयन किया गया है। 3. नियमानुसार किसी अन्य वर्ग की महिला के यदि प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक होते हैं तो वह अनारक्षित वर्ग में चयनित किया जाता है। 4. परन्तु, यदि वह अन्य वर्ग की महिला हो एवं उनके प्राप्तांक	एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा का मुख्य परीक्षा परिणाम, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012, (प्रथम संशोधन–2013), (द्वितीय संशोधन–2014), (तृतीय संशोधन–2015) तथा (चतुर्थ संशोधन–2016) तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी शासनादेश में वर्णित प्राविधान के तहत तैयार किया गया तथा इसी के अनुसार श्रेणी/उपश्रेणीवार अभ्यर्थियों के उनके मेरिट के आधार पर भिन्न–भिन्न कट ऑफ मार्क्स का निर्धारण व अभिलेख सत्यापन सूची का निर्माण मा0 आयोग द्वारा किया गया। तद्नुसार प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया है।

		अनारिक्षत वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक होते हैं तो वह अनारक्षित वर्ग में खुली सीट पर चयनित होनी चाहिए एवं अनारक्षित महिला हेतु आरक्षित महिला क्षैतिज(Horizontal) आरक्षण में उसका चयन नहीं हो सकता क्योंकि यह क्षैतिज(Horizontal) अनारक्षित महिला हेतु सुरक्षित रहता है। 5. उक्त परीक्षा परिणाम में अन्य वर्ग की महिलाओं के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक प्राप्तांक आने पर अनारक्षित वर्ग में ऊर्ध्वाधर(Vertical) आरक्षण के साथ साथ महिला क्षैतिज(Horizontal) आरक्षण का भी लाभ दे दिया गया है। 6. नियमानुसार अन्य वर्ग की महिला को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक प्राप्तांक आने पर ऊर्ध्वाधर(Vertical) आरक्षण दिया जाता है एवं उन्हें अनारक्षित की खुली सीट पर चयनित किया जाता है। उक्त अनारक्षित महिला क्षैतिज(Horizontal) आरक्षण में अनारक्षित महिला की ही चयन किया जाता है। 7. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेव चयन आयोग द्वारा भी इसी नियम के अनुसार सभी परिणाम घोषित किये जाते है। इस प्रकार एक ही प्रदेश में आयोगों द्वारा अलग अलग तरीके से परिणाम घोषित किया जाना यह प्रदर्शित करता है कि आयोगों पर आरक्षण द्वारा चयनित करने	

		की अलग अलगत नियमावली है। जोकि प्रदेश के परीक्षार्थियों को सन्देह में रखता है। 8. इस प्रकार उत्तराखण्ड लोक सेव आयोग द्वारा उक्त परीक्षा परिणाम में अनारक्षित महिला क्षैतिज आरक्षण में क्रमानुसार रोस्टर का सही निर्धारण नहीं किया गया है। जिस कारण अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है एवं उनके भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव पडा है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त परीक्षा परिणाम में नियमानुसार अनारक्षित महिला क्षैतिज आरक्षण में क्रमानुसार रोस्टर का सही निर्धारण कर पुनः परिणाम संशोधित करने की कृपा करें।''	

कृपया उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

-Sd-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।